न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 492 सन 2020

उनवान :–

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र इन्द्राज जाति खाती निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र भाउराम जाति खाती निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. जुगलाल खाती पुत्र इन्द्राज जाति खाती निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. विरेन्द्र कुमार पुत्र जुगलाल जाति खाती निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. विनोद कुमार पुत्र जुगलाल जाति खाती निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. कुलदीप पुत्र जुगलाल जाति खाती निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. गौरव कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति खाती निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
7. महावीर प्रसाद पुत्र इन्द्राज राम जाति खाती निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
8. निशांत कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति खाती निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
9. रिया देवी पुत्री इन्द्राज जाति खाती निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
10. विमला पुत्री इन्द्राज जाति खाती निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
11. सोनिया पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति खाती निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
12. प्रियंका पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति खाती निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
13. रितु पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति खाती निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
14. अमिशा पुत्री महावीर प्रसाद जाति खाती निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25/9/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 23 डीपीएन के खाता संख्या 83 की कुल 1.7710हैक्ट में से 1/2 हिस्सा , व खाता संख्या 11/9 की कुल 5.4400हैक्ट व रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 8/8 की कुल 0. 7590हैक्ट व रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 8/8 की कुल 6.9570हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भाउराम पुत्र खमानाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भाउराम पुत्र खमानाराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भाउराम पुत्र खमानाराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 14 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

भाउराम के एक पुत्र इन्द्राज एवं इन्द्राज के तीन पुत्र जुगलाल खाती, राजेन्द्र कुमार , महावीर प्रसाद , दो पुत्री विमला , रिया देवी है अर्थात इन्द्राज के पुत्र/पुत्रीया वादी , प्रतिवादी संख्या 2 ,7 ,9,10 है जुगलाल के पुत्र प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 , राजेन्द कुमार के पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 6 ,11 ता 13 , महावीर प्रसाद के पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 8 ,14 हुए इसप्रकार इन्द्राज के नाम से दर्ज भूमि के हकदार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 वादी की पुत्रिया , प्रतिवादी संख्या 14 प्रतिवादी संख्या 7 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो/भतिजो/पुत्रो/ के पक्ष मे त्याग किया जा चुका है

अधिकारी

इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 बहिंब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता भाउराम पुत्र खमानाराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,9 ता 14 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के पक्ष मे त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन मे ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एव प्रतिवादी संख्या 15 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुता के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई एतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 23 डीपीएन के खाता संख्या 83 की कुल 1.7710हैक्ट मे से 1/2 हिस्सा , व खाता संख्या 11/9 की कुल 5.4400हैक्ट व रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 8/8 की कुल 0.7590हैक्ट व रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 8/8 की कुल 6.9570हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भाउराम पुत्र खमानाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी वादी के दादा भाउराम पुत्र खमानाराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भाउराम पुत्र खमानाराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 14 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

भाउराम के एक पुत्र इन्द्राज एवं इन्द्राज के तीन पुत्र जुगलाल खाती, राजेन्द कुमार , महावीर प्रसाद , दो पुत्री विमला , सिया देवी है अर्थात इन्द्राज के पुत्र/पुत्रीया वादी , प्रतिवादी संख्या 2 ,7 ,9,10 है जुगलाल के पुत्र प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 , राजेन्द कुमार के पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 6 ,11 ता 13 , महावीर प्रसाद के पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 8 ,14 हुए इसप्रकार इन्द्राज के नाम से दर्ज भूमि के हकदार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 वादी की पुत्रिया , प्रतिवादी संख्या 14 प्रतिवादी संख्या 7 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो/भतिजो/पुत्रो/ के पक्ष मे त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध

उपखण्ड अधिकारी
... नोहर

मे न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 616 एवं आरआरडी वर्ष 1996 पेज 646 प्रस्तुत कर
निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने
हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अत वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेशकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है
वादी के साक्ष्य सबुती के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार
रोही मौजा चक 23 डीपीएन के खाता संख्या 63 की कुल 1.7710हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा , व खाता
संख्या 11/9 की कुल 5.4400हैक्टेयर व रोही मौजा चक 3 आरएसएमजी के खाता संख्या 8/8 की कुल
0.7590हैक्टेयर व रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 8/8 की कुल 6.9570हैक्टेयर भूमि वर्तमान
राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

पर्चा खतौनी व जमाबन्दी संवत 1995 के अनुसार वाद भूमि भाडराम पुत्र खमानाराम के
नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व मे वादी के दादा भाडराम पुत्र खमानाराम के नाम से दर्ज
है वादी के दादा भाडराम पुत्र खमानाराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि वादी के
पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई है विरासतन से भूमि वादी के पिता
के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की
धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति मे वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति मे
पोते/पोतियों को बराबर का हक हिस्सा होता। अर्थात वाद भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता
14 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग
किया हुआ है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश
किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के हक
हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का
ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत
एवं न्यायायिक दृष्टान्तो जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के
कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के
कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अत वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने
एवं पेशकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो
एवं न्यायायिक दृष्टान्तो के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर
घोषणा की जाती है कि

रोही मौजा चक 23 डीपीएन के खाता संख्या 63 की कुल 1.7710हैक्टेयर मे से 1/2 हिस्सा ,
व खाता संख्या 11/9 की कुल 5.4400हैक्टेयर व रोही मौजा चक 3 आरएसएमजी के खाता संख्या 8/8
की कुल 0.7590हैक्टेयर व रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 8/8 की कुल 6.9570हैक्टेयर भूमि
प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 6
संयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 संयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी
संख्या 7 ,8 संयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी
अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 5000/- रू का स्टाम्प
तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड मे
अंकन किया जावे खर्चा बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी
की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता
दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/9/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास मे सुनाया
गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आदेश 20, नियम 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अंतर्गत :-

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र इन्द्राज जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र मायराम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. पूनलाल स्वामी पुत्र इन्द्राज जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. विरेन्द्र कुमार पुत्र पूनलाल जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. विनोद कुमार पुत्र पूनलाल जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. कुलदीप पुत्र पूनलाल जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. नीरज कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
7. महावीर प्रसाद पुत्र इन्द्राज राम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
8. विशाल कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
9. सिमा देवी पुत्री इन्द्राज जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
10. निर्मला पुत्री इन्द्राज जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
11. मोनिका पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
12. प्रियंका पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
13. रिंकू पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
14. अनिशा पुत्री महावीर प्रसाद जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 492 सन 2020 निर्णय दिनांक- 25/9/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशकार, पक्ष की उपस्थिति में अंतिम निस्तारण / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 23 डीपीएन के खाता संख्या 83 की कुल 1.7710है0 में से 1/2 हिस्सा, व खाता संख्या 11/9 की कुल 6.4400है0 व रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 8/8 की कुल 0.7590है0 व रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 8/8 की कुल 6.6570है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमर्ज किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 6 संयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 संयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7, 8 संयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु पैतृक प्रार्थना पत्र के साथ 5000/- रू का स्टाम्प तहमीलात शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे खर्चा वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/9/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)